निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 03/2022 (रसद अपील)

मैसर्स भंवर लाल निठारवाल प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हस्तेडा, तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये मालिक फर्म भंवर लाल निठारवाल ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत हस्तेड़ा का प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 28.07.2017 से निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 11.07.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स भंवर लाल निठारवाल प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हस्तेडा तहसील चौमू का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्णय दिनांक 28.07.2017 से निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी मैसर्स भंवर लाल निठारवाल प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हस्तेडा का प्राधिकारधारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है,

जिला कलक्टर
जयपुर

का वितरण राशनकार्ड धारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधारकार्ड पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 06.06.2017 कसे श्रीमती मनोरमा शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक चौमू द्वारा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि श्री भंवर लाल निठारवाल का चयन पंयचायत रोजगार सहायक के पद पर हो जाने के कारण उसने राशन वितरण कार्य से अवकाश चाहा है, इसलिए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया । दिनांक 06.06.2017 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर एक नोटिस जारी किया जिसमे स्वेच्छा से राशन सामग्री का वितरण कार्य बन्द किया जाना बताया गया। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 24.12.2021 तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई कि उक्त प्रकरण मे क्या कार्यवाही की गई ? पत्रावली को दिनांक 24.12.2021 को देखने से ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने व धरोहर राशि जब्त करने का एक तरफा निणर्य दिनांक 28.07.2017 को पारित कर दिया परन्तु उक्त निरस्तीकरण का आदेश आदिनांक तक जारी नहीं हुआ है जबकि आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 के अन्तर्गत जारी जादेश निर्णय की प्रति अपीलार्थी को दिये जाने का प्रावधान है। ताकि अपीलार्थी आदेश की प्रति से 30 दिवस में अपील प्रस्तुत कर सके। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2015 Supreme Court, State of West Bengal and Others v/s R K B K Ltd. And Others अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को बिना सुने अथवा अपना पक्ष रखने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किये बिना केवल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को सत्य मानते हुए एक तरफा आदेश पारित किया है जो विधि विधान एवं प्रावधानों के विरूद्व एवं संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत है। जिसमें यह प्रावधान है कि बिना सुनवाई के अवसर प्रदान किये बिना किसी व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित नहीं किया जा सकता और इस प्रकार का आदेश अवैद्य है। अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती संतोष देवी की तबीयत अत्यन्त खराब होने के कारण राजकीय चिकित्सकों द्वारा उन्हें पूर्ण आराम करने की सलाह दिये जाने के कारण तथा घर पर कोई वयस्क व्यक्ति ना होने से पत्नी व छोटे बच्चो की देखभाल हेतु चिकित्सकों की सलाह पर अपीलार्थी कुछ समय का अवकाश प्रदान करने हेतु जिला रसद अधिकरी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने नोटिस संख्या जि.र.अ.ज.द्वितीय/विधि/70/2015/5782 दिनांक 06.06.2017 में अपीलार्थी को दिनांक 10.07.2017 को उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखते हुए नोटिस जारी किया था जो कि अपीलार्थी को तामील नहीं हुआ तथा आज दिनांक तक नहीं मिला। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 06.06.2017 को सही मानते हुये अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 06.06.2017 को ही निलम्बित कर दिया। अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष दिनांक 09.09.2019 व 18.08.2020 को तथा इससे पूर्व कई दफा अपीलार्थी की दुकान निलम्बन हुये 90 दिवस से ज्यादा समय हो जाने पर बहाल करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा ना तो दुकान बहाल की गई और ना ही यह जानकारी दी गई कि

जिला कलक्टर
जयपुर

अपीलार्थी की दुकान निरस्त कर दी गई है। अपीलार्थी के विरूद्व ऐसी कोई अनियमितता नहीं बतलाई गई है जिससे उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने जैसा दण्ड पारित किया जावे। अपीलार्थी के विरूद्व किसी प्रकार की जमाखोरी व मिलावट की कोई शिकायत नही है ना ही किसी राशनकार्डधारी उपभोक्ता की शिकायत है। प्राधिकारधारक की पत्नी की बीमार होने पर उसकी दुकान की वैकल्पिक व्यवथा कर दी गई हो और उपभोक्तोओं को राशन सामग्री प्राप्त करने के सम्बद्ध की गई दुकान से कोई कठिनाई नहीं हो रही है तो एसी स्थिति में प्राधिकार धारक अवकाश प्राप्त कर सकता है। जैसा कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय 201(8) एआरसी 357 कमला प्रसाद पाण्डे बनाम स्टेट ऑफ यूपी एण्ड अदर्स एवं 2011 ईएफआर 165 रामनाथ बनाम स्टेट ऑफ यूपी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बरेली अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी भवर लाल निठारवाल उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत हस्तेडा तहसील चौमू का चयन पंचायत सहायक के पद पर हो गया जो कि राजकीय सेवा में आता है। नियमानुसार राज्य सेवक उचित मूल्य की दुकान नहीं चला सकता। इसलिए अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है । जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 6.6.2017 को निलम्बित किया जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 6.6.2017 को नोटिस जारी किया गया है, उसका अवशेष सामान सम्बद्व दुकानदार को संभलाया गया है, किन्तु अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी के समक्ष एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी द्वारा अपील में अपनी पत्नी के बीमार होने का कारण अंकित किया है जिसकी पुष्टि के लिए रोग प्रमाण पत्र दिनांक 12.07.2017 एवं आरोग्य प्रमाण पत्र दिनांक 18.07.2017 पेश किया गया है। यदि इसको मान भी लिया जाये तो यह अवधि 12.07.201 से 18.07. 2017 तक कुल 7 दिवस ही है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने उचित मूल्य दुकान बन्द रखने पर कार्यवाही संस्थित नही की है, बल्कि अपीलार्थी का चयन राजकीय सेवा में पंचायत सहायक के पद पर हो जाने से जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा उसका प्राधिकार पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2017 के द्वारा निरस्त किया जा कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसकी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.01.2022 को करीब साढे चार साल बाद अपील पेश की गई। कोई भी व्यक्ति राजकीय सेवा में रहते हुये

जिला कलक्टर
जयपुर

उचित मूल्य दुकान का संचालन नहीं कर सकता है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है ।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर